



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062020-219919
CG-DL-E-12062020-219919

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1676]
No. 1676]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2020/ज्येष्ठ 22, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2020/JYAISTHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली 12 जून, 2020
आय-कर

का.आ. 1879(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 1790(अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 19 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक
(1)	(2)	(3)
"20	2020-21	301"

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चातवर्ती वर्षों को लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 32/2020/फा.सं. 370142/17/2020-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड-(ii) में का.आ. 1790 (अ), तारीख 5 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 3266 (अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2020

Income-Tax

S.O. 1879(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of the *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017, namely:—

2. In the said notification, in the Table, after serial number 19, the following serial number and entries relating thereto, shall be inserted, namely:—

Sl. No.	Financial Year	Cost Inflation Index
(1)	(2)	(3)
“20	2020-21	301”.

3. This notification shall come into force with effect from 1st day of April, 2021 and shall accordingly apply to the assessment year 2021-22 and subsequent years.

[Notification No. 32/2020/F.No. 370142/17/2020-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1790(E), dated the 5th June, 2017 and last amended by the notification number S.O.3266 (E), dated the 12th September, 2019.